N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0183 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/08/2024 19:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 28/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:51 बजे **Time To (समय तक):** 18:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/08/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/08/2024 19:32:37 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 200 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** BIDIYAD RIICO PARBATSAR, DISTRICT DIDWANA KUCHAMAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJENDRA KURDIYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PARMARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BILLU, PARVATSAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BILLU, PARVATSAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIJAY SINGH		पिता:SANWAT SINGH	1. 156,RAJPUT BASTI BHIARWAI,RUPANGARH,AJMER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		92,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 92,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 27.08.2024 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन आया व बताया कि मेरा नाम राजेन्द्र कुरड़िया है मैं परबतसर से बोल रहा हूँ। मैने मेरी फर्म वीर तेजा स्टोन की ए.आर.एम. कार्यालय परबतसर से पी.एम.टी. करवाने के लिए आवेदन किया है। ए.आर. एम. श्री लोकेश जी व उनके कार्यालय के चतुर्थश्रेणी कर्मचारी श्री विजय सिंह के द्वारा एक लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं रिश्वत नही देना चाहता हूं। मै ए.आर.एम. श्री लोकेश जी एवं श्री विजय सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकडाना चाहता हू। मुझे झुंझुनूं आने में समय लगेगा इसलिए आप अपने किसी कर्मचारी को मेरे पास परबतसर भिजवा दो। जिस पर कार्यालय के श्री ईशाक कानि. 40 को कार्यालय का डिजीटल रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड मंगवाकर चैक किया तो डिजिटल टेप रिकार्डर व मैमोरी कार्ड में कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। डिजिटल टेप रिकार्डर मे खाली मैमोरी कार्ड डालकर कानि0 ईशाक मौहम्मद न0 40 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु सुपूर्द किया गया। कानि0 को परिवादी का नाम व मोबाईल नम्बर देकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु मुनासिब हिदायत कर परबतसर के लिए निजि वाहन से रवाना किया गया। कानि0 ईशाक मौहम्मद ने जरिये मोबाईल फोन अवगत कराया कि मै गांधी चौक परबतसर पहुंच परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी गांधी चौक पर उपस्थित मिला। परिवादी ने श्री लोकेश मीणा ए. आर.एम व श्री विजय सिंह च.श्रे. कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। मैं व परिवादी गांधी चौक से रवाना होकर ए.आर.एम. कार्यालय बिदियाद से पहले पहुंच परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर को चलाने एवं बन्द करने की विधि समझाईश कर आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करने हेतु परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर ए.आर.एम. रिको बिदियाद कार्यालय के लिए रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी वापस आया जिससे मैंने डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी श्री राजेन्द्र कुरडिया ने बताया कि मै ए.आर.एम. कार्यालय में गया तो वहा पर श्री विजय सिंह च.श्रे. कर्मचारी मिला जिनसे मेरे काम के संबंध में बात की तो उन्होने ए.आर.एम. साहब से मिलने के लिए कहा। मै ए.आर.एम साहब के पास जाकर बात करनी चाही तो उन्होने बाहर स्टाफ से बात करने के लिए कहा। मै वापस श्री विजय सिंह के पास आया तो उन्होने मेरा काम करवाने के लिए पहले तो एक लाख रुपये देने फिर 90 हजार देने की कही। उसके बाद श्री विजय सिंह ए.आर.एम. साहब के पास जाकर वापस आया और बोला 92 हजार ले आना जिसमें दो हजार मेरे और 90 हजार रुपये साहब के लिए रिश्वत की मांग की है तथा कल देने की कही है। मैंने डिजिटल टेप रिकार्डर चालुकर सुना तो परिवादी की बातो की ताईद होना पाई गई। कानि0 ईशाक मौहम्मद को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 92 हजार रुपये परिवादी से व्यवस्था करने के लिए बताया गया। कानि. को परबतसर से झुंझुनूं आने में समय लगेगा इसलिए कानि को परबतसर में मुकिम रहने एवं डिजिटल टेप रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। दिनांक 27.08.2024 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री श्योपाल हैड कानि. 40 को जरिये तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियंता जलदाय विभाग झुंझुनूं रवाना किया गया। श्री श्योपाल हैड कानि. 40 मय स्वतंत्र गवाह श्री रवि कुमार हाल वरिष्ठ सहायक एवं श्री विकास कुमार हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जलदाय विभाग झुंझुनूं को हमरा लेकर हाजिर आया। गवाहान को दिनांक 28.08.2024 को सुबह जल्दी ए.सी.बी. कार्यालय झुंझुनूं में उपस्थित आने की हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 28.08.2024 को पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री रवि कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री विकास कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जलदाय विभाग झुंझुनूं उपस्थित कार्यालय आये। कार्यालय की श्रीमती सुमित्रा देवी महिला कानि. को निर्देशित करने पर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेशबॉर्ड में रखवाई जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि0 न0 155, स्वतंत्र गवाह श्री विकास कुमार, श्री रवि कुमार सरकारी वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर, मैमोरी कार्ड तथा प्राईवेट वाहन से श्री श्योपाल हैड कानि, श्री सुनील कुमार कानि, श्री अली हुसैन, श्री सुनील कुमार वरिष्ठ सहायक, श्रीमती सुमित्रा देवी महिला कानि के गोपनीय कार्यवाही हेतु परबतसर के लिए रवाना हुये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहियान के वीर तेजा कालोनी परबतसर पहुंचे जहां श्री ईशाक मौहम्मद कानि व परिवादी श्री राजेन्द्र कुरड़िया उपस्थित मिले। श्री ईशाक मौहम्मद कानि ने परिवादी का प्रार्थना पत्र मय डिजिटल टेप रिकार्ड पेश किया।

परिवादी श्री राजेन्द्र के लिखित प्रार्थना पत्र मय फर्म वीर तेजा स्टोन के PMT के आवेदन की फोटो प्रतियो का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र में इस आशय का अंकन था कि "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक ACB झुंझुनूं विषय ट्रेप कारवाई करवाने बाबत्। महोदय उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि मै प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र परमाराम जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बिलु का रहने वाला हूँ मेरी फर्म वीर तेजा स्टोन के नाम से परबतसर में है जिसको रिको में PMT करवाने के लिए आवेदन किया था जिसको ARM द्वारा रिश्वत मांग रहा है जो कि एक लाख कि रिश्वत मांग रहा है जो ARM लोकेश मीणा रिश्वत चपरासी द्वारा जिसका नाम विजय सिंह उसके द्वारा एक लाख रुपये मांग रहा है मै मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवान चाहता हूँ। मेरी उपरोक्त से कोई रंजीश नही है। एसडी राजेन्द्र पुत्र श्री परमाराम। परिवादी से दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरी फर्म वीर तेजा स्टोन के नाम से परबतसर में है। मैने क्षेत्रिय प्रबंधक रीको बिदियाद के कार्यालय में PMT करने हेतु दिनांक 22.07.2024 को आवेदन किया था। फर्म की पी.एम.टी. करने की एवज में श्री लोकेश मीणा एआरएम अपने चपरासी श्री विजय सिंह के द्वारा एक लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरी श्री लोकेश मीणा एआरएम व श्री विजय सिंह चपरासी से कोई रंजीश नही है तथा पहले की उधार का लेनदेन नही है। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 27.08.2024 को मेरी आपसे जरिये मोबाईल फोन पर वार्ता हुई थी। आपके कार्यालय से श्री ईशाक मौहम्मद आये थे जिनको मैने लिखित प्रार्थना पेश किया था। जिनके साथ जाकर मैने रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन किया था। मै दिनांक 27.08.2024 को ए.आर.एम. कार्यालय में गया तो वहा पर श्री विजय सिंह च.श्रे. कर्मचारी मिला जिनसे मेरे काम के सबंध में बात की तो उन्होने ए.आर.एम. साहब से मिलने के लिए कहा। मै ए.आर.एम साहब के पास जाकर बात करनी चाही तो उन्होने बाहर स्टाफ से बात करने के लिए कहा। मै वापस श्री विजय सिंह के पास आया तो उन्होने मेरा काम करवाने के लिए पहले तो एक लाख रुपये देने फिर 90 हजार देने की कही। उसके बाद श्री विजय सिंह ए.आर.एम. साहब के पास जाकर वापस आया और बोला 92 हजार ले आना जिसमें दो हजार मेरे और 90 हजार रुपये साहब को देने है। इस प्रकार कानि0 ईशाक मौहम्मद द्वारा दिनांक 27.08.2024 को जरिये टेलीफोन बताई बातो की ताईद होना पाई गई। मैने डिजिटल टेप रिकार्डर को चालु कर सुना तो उसमें भी कानि0 ईशाक मौहम्मद व परिवादी द्वारा बताई गई बातो की ताईद होती है। डिजिटल टेप रिकार्डर को मेरे पास सुरक्षित रखा। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्र कुरडिया द्वारा आरोपी श्री विजय सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं श्री लोकेश ए.आर.एम. कार्यालय एआरएम रिको, बिदीयाद, जिला डीडवाना कुचामन की दिनांक 27.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में टेप की गई बातचीत को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटॉप के माध्यम से तीन सीडी तैयार कर, एक सीडी को सफेद कपडे की थैली में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड कर मार्क "A" अंकित किया गया। एक सीडी आरोपी हेतु व एक सीडी अन्वेषण अधिकारी हेतु खुली रखी गई तथा मैमोरी कार्ड में टेप वार्ता को गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप का फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री राजेन्द्र कुरड़िया ने स्वयं की व आरोपी श्री विजय सिंह च.श्रे. कर्मचारी एवं श्री लोकेश ए.आर.एम. की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड जो SANDISK 32 जी.बी. को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड कर पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "A-1" अंकित किया गया। सीडी एवं मौमोरी कार्ड की हैश वैल्यु निकालकर पृथक से शामिल कार्यवाही की गई। सील्ड पैकेट मार्क "A" एवं "A-1" को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 28.08.2024 को परिवादी के मोबाईल पर आरोपी श्री विजय सिंह का दो बार मिस कॉल आने पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री विजय सिंह के मो0न0 पर समय 2.17 पीएम पर कॉल करवाई गई तो आरोपी विजय सिंह ने 92,000 रुपये लेकर कार्यालय समय 6.00 पीएम तक आने के लिए कहा है। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री राजेन्द्र कुरड़िया को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने 92,000/- रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 184 नोट कुल 92,000/- रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटो पर श्रीमती सुमित्रा देवी महिला कानि0 न0 511 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री विकास कुमार से परिवादी श्री राजेन्द्र कुरडिया की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 92,000/- रूपये के नोट श्रीमती सुमित्रा देवी महिला कानि0 से परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री राजेन्द्र कुरड़िया को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्रीमती सुमित्रा देवी महिला कानि0, परिवादी, दोनों

गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय की डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो मौमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा अपने मोबाईल से आरोपी श्री विजय सिंह के मोबाईल पर रिश्वत लेनदेन के संबंध में की गई वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। उक्त वार्ता के अलावा अन्य कोई वार्ता रिर्काड होना नही पाई गई। उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री राजेन्द्र कुरड़िया को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। महिला कानि0 सुमित्रा देवी को वीर तेजा कालोनी मुख्य बस स्टेण्ड परबतसर मुकिम रहने हेतु हिदायत कर छोडा गया। तत्पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, सरकारी गवाह श्री विकास कुमार व श्री रवि कुमार मय प्राईवेट वाहन तथा श्री श्योपाल हैड कानि, श्री अली हुसैन कानि, श्री सुनील कुमार कानि0, श्री सुनिल कुमार वरिष्ठ सहायक सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र कुमार तथा परिवादी श्री राजेन्द्र कुरडिया व श्री ईशाक मौहम्मद को परिवादी की गाडी से कार्यालय एआरएम रिको बिदीयाद के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य, गवाहान व परिवादी के एआरएम कार्यालय रिको बिदियाद से कुछ दूरी पहले पहूंच परिवादी को आरोपी श्री विजय सिंह के पास रिश्वत देने हेतु रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य एआरएम कार्यालय के सामने मकराना रोड पर परिवादी के तय इशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय करीब 06.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री राजेन्द्र कुरड़िया का अपने फोन से मिस कॉल का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को साथ लेता हुआ कार्यालय सहायक श्रेत्रिय प्रबंधक बिदियाद के अन्दर पहुंचे। कमरे के बाहर परिवादी खडा मिला जिसने डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द किया तथा परिवादी ने सामने कमरे में बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री विजय सिंह चपरासी है जिसने मेरे से अभी-अभी 92,000 रुपये रिश्वत के लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम श्री विजय सिंह पुत्र श्री सावंत सिंह, जाति राजपूत, उम्र 47 साल, निवासी 156 राजपूत बस्ती, भैरवाई तहसील रुपनगढ, जिला अजमेर हाल ठेकेदार के मार्फत प्राईवेट चपरासी/गार्ड होना बताया। श्री विजय सिंह को परिवादी श्री राजेन्द्र कुरड़िया से 92,000 रुपये रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो श्री विजय सिंह ने बताया कि मैने राजेन्द्र कुरडिया से 92,000 रुपये उधारे लिए है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री राजेन्द्र कुरडिया ने श्री विजय सिंह की बातो का खण्डन करने हुये कहा कि विजय सिंह झूठ बोल रहा है, इन्होने मेरी फर्म की पी. एम.टी. करवाने के लिए कल 90,000 रुपये श्री लोकश सहायक क्षेत्रिय प्रबंधक रीको के लिए तथा 2000 रुपये स्वयं के लिए रिश्वत की मांग की थी तथा मांग के अनुसरण में आज इन्होंने मेरे से 92,000 रुपये रिश्वत के अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रख लिये। श्री विजय सिंह द्वारा रिश्वत लेने की पुष्टी होने पर श्री विजय सिंह का दाहिना हाथ श्री अली हुसैन कानि को तथा बायां हाथ स्वतंत्र गवाह श्री रवि कुमार को कलाईयों के उपर से पकड़वाया गया। श्री विजय सिंह से रिश्वत कहा रखी है के बारे में पूछा गया तो बताया कि रुपये मेरी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हुये है। तत्पश्चात श्री ईशाक मौहम्मद के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपी श्री विजय सिंह, प्राईवेट चपरासी/गार्ड के दाहिनें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी व दूसरे गिलास में आरोपी के बाये हाथ के अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिनको दो-दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क R-1, R-2 एवं L-1, L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लासों को जलाकर नष्ट किया गया। रिश्वत राशि 92,000 रुपये श्री विजय सिंह की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हुये है को स्वतंत्र गवाह श्री विकास कुमार से निकलवाये गये तो श्री विजय सिंह की जेब मे से 500-500 रुपये के नोटो की दो थेई पेश की। श्री विजय सिंह की जेब से बरामद नोटो को गवाह से गिनवाया गया तो गवाह ने उक्त नोट 500-500 रुपये के 184 नोट कुल 92,000 रुपये होना बताया। बरामद रिश्वत राशि को गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो गवाहान ने बरामद नोट पूर्व की फर्द पेशकशी के मुताबिक होना पाये गये। बरामद नोटो का विवरण निम्नानुसार है 1 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609102, 2 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609103, 3 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609104, 4 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609105, 5 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609106, 6 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609107, 7 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609108, 8 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609110, 9 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609111, 10 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609112, 11 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609113, 12 एक

नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609114, 13 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609115, 14 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609116, 15 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609117, 16 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609120, 17 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609121, 18 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609122, 19 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609123, 20 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609125, 21 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609126, 22 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609127, 23 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609128, 24 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609129, 25 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609130, 26 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609131, 27 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609132, 28 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609133, 29 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609145, 30 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609146, 31 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609147, 32 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609149, 33 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609150, 34 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609151, 35 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609152, 36 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609153, 37 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609154, 38 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609155, 39 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609156, 40 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609157, 41 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609158, 42 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609159, 43 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609160, 44 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609161, 45 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609162, 46 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609164, 47 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609165, 48 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609173, 49 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609174, 50 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609175, 51 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609176, 52 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609177, 53 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609178, 54 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609179, 55 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609181, 56 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609182, 57 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609184, 58 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609185, 59 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609186, 60 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609189, 61 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609190, 62 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609194, 63 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609195, 64 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609901, 65 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609902, 66 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609903, 67 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609904, 68 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609905, 69 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609906, 70 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609907, 71 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609908, 72 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609909, 73 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609910, 74 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609911, 75 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609912, 76 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609913, 77 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609914, 78 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609915, 79 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609916, 80 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609917, 81 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609918, 82 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609919, 83 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609920, 84 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 5PR 609921, 85 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169601, 86 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169602, 87 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169603, 88 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169604, 89 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169605, 90 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169606, 91 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169607, 92 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169608, 93 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169609, 94 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169610, 95 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169611, 96 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169612, 97 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169613, 98 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169614, 99 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169615, 100 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169616, 101 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169617, 102 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169618, 103 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169619, 104 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169620, 105 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169621, 106 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169622, 107 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169623, 108 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169624, 109 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169625, 110 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169626, 111 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169627, 112 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169628, 113 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169629, 114 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169630, 115 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169631, 116 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169632, 117 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169633, 118 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169634, 119 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169635, 120 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169636, 121 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169637, 122 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169638, 123 एक नोट पांच

सौ रूपये नम्बर 4HN 169639, 124 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169640, 125 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169641, 126 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169642, 127 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169643, 128 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169644, 129 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169645, 130 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169646, 131 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169647, 132 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169648, 133 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169649, 134 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169650, 135 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169651, 136 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169652, 137 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169653, 138 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169654, 139 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169655, 140 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169656, 141 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169657, 142 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169658, 143 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169659, 144 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169660, 145 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169661, 146 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169662, 147 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169663, 148 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169664, 149 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169665, 150 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169666, 151 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169667, 152 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169668, 153 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169669, 154 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169670, 155 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169671, 156 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169672, 157 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169673, 158 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169674, 159 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169675, 160 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169676, 161 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169677, 162 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169678, 163 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169679, 164 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169680, 165 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169681, 166 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169682, 167 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169683, 168 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169684, 169 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169685, 170 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169686, 171 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169687, 172 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169688, 173 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169689, 174 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169690, 175 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169691, 176 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169692, 177 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169693, 178 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169694, 179 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169695, 180 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169696, 181 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169697, 182 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169698, 183 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169699, 184 एक नोट पांच सौ रूपये नम्बर 4HN 169700 जिनके नम्बर फर्द में अंकित किए गए। बरामद शुदा उपरोक्त 92,000 रूपयों के नोटो को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। श्री विजय सिंह को लोअर (पायजामा) की व्यवस्था करवाकर की पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाया गया। तत्पश्चात कानि. अली हुसैन के दोनो हाथ एवं एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कांच की दो शिशिया को पानी व साबुन से धुलवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया। तैयार घोल में आरोपी श्री विजय सिंह की पेंट की सामने की दाहिनी जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो कांच साफ की शिशियो में आधा आधा भरवाकर सील चिट कर क्रमाशः मार्क P-1 व P-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को नष्ट करवाया गया। आरोपी की पेंट बरंग स्लेटी को सुखाकर पेंट की सामने की दाहिनी जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवार कर पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर शिल्ड कर मार्क B अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी श्री राजेन्द्र की फर्म वीर तेजा स्टोन के पीएमटी के लिए किये गये आवेदन संबंधी पत्रावली कार्यालय के कर्मचारी श्री धीरज भार्गव कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक श्रेत्रिय प्रबंधक रीको उप ईकाई मकराना (बिदियाद) से मंगवाई गई जिन्होंने श्री राजेन्द्र की पीएमटी (उत्पादन सत्यापन) करवाने की पत्रावली पेश की और बताया कि वीर तेजा स्टोन परबतसर का आवेदन 15.05.2024 को आनलाईन किया गया था। दिनांक 17.05.2024 को मूल आवेदन मय दस्तावेजात के कार्यालय में प्राप्त हुई थी। दिनांक 10.06.2024 को अनाधिकृत निर्माण एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कमी पाया जाने पर संबंधित फर्म को श्री लोकेश जी सहायक क्षेत्रिय प्रबंधक द्वारा पत्र जारी किया गया था। दिनांक 22.07.2024 को फर्म मालिक द्वारा निकाली गई कमियो की पूर्ति कर जवाब पेश किया। दिनांक 20.08.2024 को श्री उज्जवल फौजदार सहायक स्थल अभियंता द्वारा फर्म वीर तेजा स्टोन का मौका निरीक्षण किया गया जिन्होने मौके पर कार्य सही होना पाया जाने की रिपोर्ट पेश की। श्री लोकेश सहायक क्षेत्रिय प्रबंधक ने पत्रावली पर मेरे से कार्य की रिपोर्ट चाहने बाबत नोट अंकित किया है। बीच में छुट्टियां आने से पत्रावली मेरे पास पैण्डिंग चल रही है। वीर तेजा स्टोन की असल पत्रावली की फोटोप्रति करवाकर श्री उज्जवल फौजदार, सहायक स्थल अभियंता से प्रमाणित करवा कर संबंधितों के

हस्ताक्षर प्रथम पृष्ठ व अन्तिम पृष्ठ पर करवाकर प्राप्त की गई जिसमें पृष्ठ संख्या 01 से 219 व 10 पेज नोट शीट के है। मूल पत्रावली श्री धीरज भार्गव को लौटाई गई। श्री धीरज भार्गव क0स0 से आरोपी श्री विजय सिंह की पद व नियुक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने श्री विजय सिंह को क्राईस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड से ठेकेदार के मार्फत होना एवं वेतन भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा किया जाना बताया। आरोपी श्री विजय सिंह की पे-स्लीप व टेक्स ईनवाईस पेश किया जिस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री विजय सिंह जामा तलाशी गवाह श्री रवि कुमार से लिवाई गई तो पेंट की पीछे की जेब में एक पर्स मिला जिसमें पांच सौ रुपये के 06 नोट कुल तीन हजार रुपये, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आयकर विभाग का पैन कार्ड न0 JNUPS3161Q व स्वयं का आधार कार्ड न0 पाये गये। पर्स में मिले रुपये व पहचान के कागजात श्री विजय सिंह को सुपूर्द किये गये। आरोपी श्री विजय सिंह के पास एक मोबाईल VIVO कम्पनी बरंग मल्टीकलर जिसमें एक सीम नं. जो एयरटेल कम्पनी की है। मोबाईल के आईएमईआई नम्बर व दुसरे आईएमईआई नम्बर है। उक्त मोबाईल को वजह सबुत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर शिल्ड कर मार्क C अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी विजय सिंह, कार्यालय सुरक्षाकर्मी की हाथ धुलाई, धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही एवं बरामदगी रिश्वत राशि की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर लेपटॉप से जोडकर दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोट किये मैमोडी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क E अंकित किया गया। ट्रेप कार्यवाही प्रादर्श को सील करने में पीतल की ब्राशसील नं. 25 का का उपयोग किया गया। फर्द नमूना ब्राशसील नं. 25 पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात रिश्वत लेन से पूर्व परिवादी के पास आरोपी श्री विजय सिंह का मोबाईल नम्बर से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता जो परिवादी द्वारा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है को वापिस कॉल किया गया जिसको कार्यालय के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया एवं वक्त रिश्वत लेन देन हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में टेप की गई बातचीत को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटॉप के माध्यम से तीन सीडी तैयार कर, एक सीडी को सफेद कपडे की थैली में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड कर मार्क D अंकित किया गया। एक सीडी आरोपी हेतु व एक सीडी अन्वेषण अधिकारी हेतु खुली रखी गई तथा मैमोरी कार्ड में टेप वार्ता को गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप का फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री राजेन्द्र कुरड़िया ने स्वयं की व आरोपी श्री विजय सिंह च.श्रे. कर्मचारी एवं श्री लोकेश ए.आर.एम. की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड जो SANDISK 32 जी.बी. को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड कर पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क D-1 अंकित किया गया। सीडी एवं मौमोरी कार्ड की हैश वैल्यु निकालकर पृथक से शामिल कार्यवाही की गई। सील्ड पैकेट मार्क D एवं D-1 को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री विजय सिंह पुत्र श्री सावत सिंह, उम्र 47 वर्ष, जाति राजपुत, निवासी 156, राजपुत बस्ती, भैरवाई तहसील रुपनगढ, जिला अजमेर हाल सुरक्षाकर्मी, (ठेकेदार के मार्फत), कार्यालय सहायक क्षैत्रिय प्रबंधक, रीको, उप ईकाई मकराना (बिदियाद), जिला डीडवाना कुचामन को अपराध प्रमाणित पाया जाने पर अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। गिरफ्तारी की सूचना कार्यालय के श्री धीरज भार्गव को दी गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री विजय सिंह पुत्र श्री सावंत सिंह, उम्र 47 वर्ष, जाति राजपुत, निवासी 156, राजपुत बस्ती, भैरवाई तहसील रुपनगढ जिला अजमेर हाल सुरक्षाकर्मी, (ठेकेदार के मार्फत), कार्यालय सहायक क्षैत्रिय प्रबंधक, रीको, उप ईकाई मकराना (बिदियाद), जिला डीडवाना कुचामन द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री राजेन्द्र कुरडियां पुत्र श्री परमाराम, जाति जाट, उम्र 38 साल निवासी बिल्लु पुलिस थाना परबतसर जिला डिडवाना-कुचामन की फर्म की पी.एम.टी. (उत्पादन सत्यापन) करने की एवज में परिवादी से दिनांक 27.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री राजेन्द्र कुरडिया ने श्री लोकेश मीणा एआरएम से अपने कार्य के सम्बन्ध में जाकर मिलता है तब श्री लोकेश मीणा एआरएम कहता है कि बाहर स्टाफ से मिलो। इसके बाद परिवादी बाहर आकर कार्यालय के श्री विजय सिंह से मिलता है तब श्री विजय सिंह श्री लोकेश मीणा एआरएम से मिलकर वापिस आकर परिवादी को 90000 रूपये श्री लोकेश मीणा एआरएम के लिए एवं 2000 रूपये स्वयं के लिए रिश्वत की मांग करता है। रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 28.08.2024 को परिवादी की फर्म वीर तेजा स्टोन की पीएमटी श्री लोकेश क्षेत्रिय सहायक प्रबंधक रीको से करवाने की एवज में श्री विजय सिंह, सुरक्षाकर्मी को 92,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। श्री लोकेश मीणा एआरएम की भूमिका संदिग्ध पाई गई है एवं आरोपी श्रीविजय सिंह सुरक्षाकर्मी, (ठेकेदार के मार्फत) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तारीफ में आता है। आरोपी श्री विजय सिंह पुत्र श्री सावंत सिंह, उम्र 47 वर्ष, जाति राजपुत, निवासी 156, राजपुत बस्ती, भैरवाई तहसील रुपनगढ जिला

अजमेर हाल सुरक्षाकर्मी, (ठेकेदार के मार्फत), कार्यालय सहायक क्षैत्रिय प्रबंधक, रीको, उप ईकाई मकराना (बिदियाद), जिला डीडवाना कुचामनका उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तारीफ में आता है। अतः आरोपी श्री विजय सिंह सुरक्षाकर्मी, (ठेकेदार के मार्फत) के विरूद्ध जुर्म धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (इस्माईल खान) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विजय सिंह पुत्र श्री सावंत सिंह, उम्र 47 वर्ष, जाति राजपुत, निवासी 156, राजपुत बस्ती, भैरवाई तहसील रुपनगढ जिला अजमेर हाल सुरक्षाकर्मी, (ठेकेदार के मार्फत), कार्यालय सहायक श्रेत्रिय प्रबंधक, रीको, उप ईकाई मकराना (बिदियाद), जिला डीडवाना कुचामन के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 455 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 989-92 दिनांक 30.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर क्रम संख्या-1 जोधपुर 2 पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 3 MANAGER, KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LTD. 166,SWASTHYA NAGAR,SUKHIYA MADHYA PRADESH INDORE-452010. 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Suresh Chand **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 3[illegible]8/2024 1[illegible]4

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)